अंक ६२

नई दिल्ली, अप्रैल २०१५

[निजी प्रसार के लिए]

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'अविलंब न्यायिक प्रक्रिया झूठे मुठभेड़ों की संख्या कम करने में सहायक हो सकती है'

श्री आशीष गुप्ता

श्री आशीष गुप्ता, आई.पी.एस. उत्तर प्रदेश कैडर एंव वर्तमान में संयुक्त सचिव नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) से, उनकी वर्तमान संस्था तथा पुलिस मुठभेड़ों के दौरान होने वाली जीवन क्षति आदि से संबंधित विषयों पर ज़ीनत मलिक द्वारा किये गये व्यक्तिगत साक्षात्कार के महत्वपूर्ण अंशों को आपकी सूचना के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

सबसे पहले कृपया बताएं कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड क्या है? और इसका उद्देश्य क्या है?

NATGRID या नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की परिकल्पना २६ नवंबर के हमले के बाद केन्द्र सरकार द्वारा की गई थी। इसका मकसद केवल यह है कि वह सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक ऐसी व्यस्था प्रदान करे जिससे उनके काम में, विवेचना में सुविधा मिल सके। यदि कहीं कोई एक विशिष्ट पैटर्न बन रहा है जो आतंकवादी गतिविधि से संबंधित हो सकता है तो उसके बारे में एजेंसियों को अवगत कराना, ताकि आतंकवाद को रोका जा सके। मुख्यतः अपराध को रोकने के लिए यह सरकार का एक आई.टी. प्रोजेक्ट है क्योंकि इसमें आपको जो कुछ सूचना प्राप्त हो रही है उसमें कुछ विश्लेषण करने होते हैं और फिर कानून प्रर्वतन एजेंसियों को सूचना देनी होती है अगर घटना हो चुकी है तो उसकी जांच के लिए और नहीं हुई है तो उसे रोकने के लिए।

क्या यह किसी भी प्रकार से थाना स्तर की पुलिसिंग व्यवस्था से संबंधित है या बिल्कुल भिन्न और असंबंध है?

सीधे तौर पर तो थाना कर्मचारी NATGRID की सुविधा का उपयोग नहीं करेगा। इसका मैनडेट नहीं है लेकिन जो हर प्रदेश में आजकल ए.टी.एस. या वह इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं कि किसी विशेष प्रकार का कोई पैटर्न उभर रहा है ज़मीनी स्तर पर वह सत्य है कि नहीं इसकी जांच के लिए थाना स्तर की पुलिस की आवश्यकता होती है। उनका संबंध सीधे तो नहीं है लेकिन, अप्रत्यक्ष रूप से उनकी भूमिका सत्यापन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। कंप्यूटर पर एक विशेष शैली की वास्तविक स्थिति तो थाना स्टाफ़ ही बता सकता है। इसके विपरीत कभी–कभी उन्हीं से सूचना मिलती है कि ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है फिर हम उसे कंप्यूटर की मदद से आंकने की कोशिश करते हैं और यथानुसार संबंधित एजेंसी को सूचना प्रदान करते हैं। जैसे – कहीं पता लगा कि ३ लोग अलग अलग जगह से आकर एक स्थान पर ठहरे हुए हैं तो आप थाने को सूचित करेंगे कि वह जाकर इसका सत्यापन करें। लेकिन, NATGRID केवल आतंकवाद से संबंधित मामलों को देखती है और इसके लिए वह यह सूचना संबंधित एजेंसी को पहुंचा देती है बाकी जो कार्यवाही करनी है वही करते हैं।

सर, क्या हम उन एजेंसियों के नाम जान सकते हैं जिनके लिए NATGRID काम करता है?

जितनी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी हैं जैसे – ए.टी.एस., आई.बी., सी.बी.आई., आदि हम लोग इन ऐजेंसियों को एक व्यवस्था बनाकर देते हैं जिसे वह अपने हिसाब से उपयोग करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मोबाईल में कोई एक ऐप बनाकर दे दिया गया अब उसे कैसे उपयोग करना है वह उपभोगता पर निर्भर करता है।

सर, क्योंकि आप स्वंय एस.टी.एफ़. में रह चुके हैं इसलिए हम आपके अनुभवों के आधार पर पिछले महीने वारंगल और चित्तूर में हुई एनकाउंटर किलिंग के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे जहां कहीं २० लोगों की मृत्यु होती है और कहीं ५ विचाराधीन बंदियों की, लेकिन पुलिस दल के सदस्यों को कोई चोट तक नहीं पहुंचती है। पुलिस क्यों ऐसे फर्जी एनकाउंटर करती है?

सबसे पहले तो मैं आपके द्वारा उपयोग किये गये शब्द पर ही टिप्पणी करना चाहूंगा कि 'एनकाउंटर किलिंग' जैसी कोई स्थिति नहीं होती है बल्कि अपराधियों को पकड़ने के समय दोनों ओर से कई बार गोलाबारी या 'एक्सचेंज ऑफ फ़ायर' होता है, जोकि दो प्रकार का हो सकता है– वास्तविक, मतलब आप कहीं गश्त पर निकले हैं, कोई नक्सल समूह ने गोली चलाना शरु कर दिया या आप कहीं दबिश पर गये हैं और अंदर से गोली चलने लगी तो आप भी गोली चलाएंगे। यहां यह भी समझना होगा कि अगर घर में घुसते ही मैंने देखा कि अपराधी या आतंकवादी के हाथ में ए.के. ४७ है तो मैं उसके गोली चलाने की प्रतीक्षा नहीं करूँगा, कि अगर मैं बच गया तो आत्म रक्षा में फ़ायर करूँ, वहां पर मेरा यह देख लेना कि उसके हाथ में ख़तरनाक हथियार है मुझे आत्मरक्षा के लिए कार्यवाही करने पर विवश कर देता है। हो सकता है कि आरोपी दल के सदस्यों को आत्मरक्षा पर कोई विशेष प्रशिक्षण न होने के कारण दैहिक आघात पहुंचता है जबकि पुलिसकर्मियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त होने के कारण वे स्वयं को क्षति पहुंचाए बगैर उन्हें रोकने में सक्षम हों। तो पुलिसकर्मियों को क्षति न पहुंचने को आधार मान कर झूठा कहना उचित नहीं है क्योंकि इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं– मैं व्यवासायिक रूप से आत्मरक्षा में निपुण हूँ, मेरे पास बुलेट प्रूफ जैकेट मौजूद है आदि। और अगर केवल चोट न पहुँचना ही इसका आधार है तो पुलिस इस पैमाने पर खरी उतरने के लिए थोड़ी बहुत आत्म क्षति भी कर सकती है। मैं यू.एस. में २००२ में छः हफ़्ते का प्रशिक्षण इसी विषय पर लेकर आया था और उसके बाद वही हमने यहां एस.टी.एफ. को करवाया। और इसके बाद दुर्घटनाओं में घायल और चोट का दर न के बराबर हो गया। हमने यू.एस. में जो प्रशिक्षण लिया उसमें घर में छुपे अपराधियों को पकड़ने के लिए वे कभी दरवाज़ा तोड़कर नहीं घुसते क्योंकि इसमें अंदर से फ़ायर का ख़तरा होता है। इसके लिए पहले वे एक स्टन ग्रेनाईट अंदर डालते हैं जिससे किसी को कोई आघात नहीं पहुंचता है, यह केवल बहुत तेज़ आवाज़ करता है और रौशनी करता है जिससे २–३ सेकंड के लिए व्यक्ति स्टन हो जाते हैं और पुलिस के लिए वह समय अंदर घुसकर स्थिति पर पकड़ बनाने के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए, मैं यहां थाना स्टाफ़ से कहना चाहता हूँ कि उन्हें आत्मरक्षा में निपुणता प्राप्त करके दबिश करना सीखना चाहिए।

दूसरी तरफ़ मैं इस बात से भी इंकार नहीं करता की एक्सचेंज ऑफ फ़ायर हमेशा वास्तविक नहीं होती है। कई बार वह एक झूठी व्यवस्था बनाकर दिखला दिया जाता है। लेकिन, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले ७–८ सालों से वास्तविक मुठभेड़ों की संख्या झूठे मुठभेड़ों से कहीं अधिक हो गई है।

हालांकि, व्यवस्था में कुछ लोग हैं जो बुरे हैं और वह अपने निजी लाभ के लिए भी ऐसे काम कर सकते हैं। हो सकता है उनको किसी ने पैसे दिये हों ऐसा करने के लिए, हो सकता है कोई राजनैतिक

शेष भाग पृष्ठ २ पर.....

बूझो और जीतो–४०

प्रिय पाठकों,

इस खण्ड में, पिछले कुछ महीनों से किसी ख़ास विषय पर केन्द्रित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, इस बार हम आपराधिक कानून के अंतर्गत 'गिरफ़्तार व्यक्ति की सुरक्षा' से संबंधित प्रावधानों में से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। आशा है, आपको प्रश्न पसंद आएंगे और आप अधिक से अधिक संख्या में इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगी/लेंगे।

किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं और २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रुपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं:–

१. किसी गिरफ़्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा का दायित्व किस पर है?

२. क्या पुलिस चोरी के आरोपी को उसकी अभिरक्षा से भागते समय सीधे छाती पर गोली मार सकती है, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है?

३. क्या किसी आरोपी को गिरफ़्तार करने के बाद उसका चिकित्सीय जांच कराना आवश्यक है? संबंधित प्रावधान में क्या कहा गया है?

४. क्या गिरफ़्तार व्यक्ति को एक इंस्पेक्टर अपने घर पर चार घंटे के लिए रख सकता है?

५. क्या पुलिस किसी आरोपी को गिरफ़्तार करने के बाद बगैर उसके परिजनों को सूचित किये हुए पुलिस अभिरक्षा में १० दिनों तक रख सकती है?

बूझो और जीतो – ३७ का परिणाम

जनवरी २०१५ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:–

१. नहीं, भारत के संविधान के अनुच्छेद १५(२) (क) में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। इसलिए, पुलिस भी किसी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को मेले में जाने से नहीं रोक सकती है।

२. शांतिपूर्ण सभा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है जो उसे संविधान के अनुच्छेद १६(१) (ख) से प्राप्त होता है। इसलिए, यदि पुलिस किसी ऐसे समूह पर लाठीचार्ज करती है जो किसी बात के लिए शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से सभा कर रहा हो तो वह उनके मौलिक अधिकारों का हनन करती है, उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

३. संविधान के अनुच्छेद २३ के अनुसार किसी को बंधुआ बनाना एक अपराध है जिसके लिए दोषी को संबंधित कानून के अनुसार दण्ड दिया जाएगा। यदि पुलिस को सरपंच के घर पर एक बंधुआ मज़दूर बच्ची मिलती है तो वह सरपंच के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के लिए केस दर्ज कर सकती है।

४. नहीं, पुलिस किसी आरोपी को साक्ष्य की उगाही के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। क्योंकि, आरोपी को संविधान के अनुच्छेद २०(३) के अंतर्गत अपने विरुद्ध साक्ष्य न देने से संरक्षण प्राप्त है।

५. संविधान के अनुच्छेद २०(२) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, दो व्यक्तियों की एक साथ हत्या करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दो एफ.आई.आर. भी नहीं दर्ज की जाएगी।

विजेता :

इस बार बूझो और जीतो–३७ के लिए प्राप्त प्रविष्टियों में हमें किसी के भी सभी उत्तर सही नहीं प्राप्त हुए। इसलिए, इस अंक में किसी को भी विजेता घोषित नहीं किया जा

ज़ीनत मलिक
प्रधान संपादक, *लोक पुलिस*
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव
(सी.एच.आर.आई.)
तीसरी मंज़िल, ५५ ए, सिज़ार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली-१६
फोन: ९१ ११ ४३१८०००, ४३१८०२१५
फैक्स: ९१ ११ २६८६४६८८
ई-मेल: zeenatmalick@gmail.com
वेबसाईट: http://www.humanrightsinitiative.org

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सूचना तकनीक कानून का अतिक्रमण

सूचना तकनीक अधिनियम २००० (आई.टी. ऐक्ट) की धारा ६६क को २४ मार्च २०१५ को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया। हालांकि, इस धारा को कानून में, बाद में, २००८ में मुख्यतः इसलिए शामिल किया गया था ताकि इंटरनेट के दुरुपयोग द्वारा विभिन्न प्रकार के साईबर अपराधों जैसे : स्टॉकिंग, हैकिंग, अश्लील संवादों के प्रसार आदि को रोका जा सके। लेकिन, व्यवहारिक स्तर पर इसके अस्पष्ट प्रालेख के कारण इस प्रावधान के अंतर्गत पुलिस को बहुत व्यापक विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त हो गईं जिस कारण पुलिस इसके असली उद्देश्य से भटक कर तथा प्राप्त शक्तियों का उपयोग आम इंटरनेट उपयोगी को परेशान करने के लिए करने लगी।

धारा ६६क कहता है : "संचार सेवाओं, आदि के माध्यम से अपमानजनक, संदेश भेजने के लिए दण्ड – कोई भी व्यक्ति जो कमप्यूटर या किसी संचार यंत्र के माध्यम से कोई ऐसा संदेश भेजता है जो –

(क) कोई सूचना जो अपमानजनक या डरावने चरित्र का है, या

(ख) कोई सूचना जो उसे मालूम है कि गलत है लेकिन कष्ट, असुविधा, खतरा रुकावट, अपमान, ज़ख्म देने, आपराधिक धमकी, दुश्मनी, नफ़रत या बुरे विचार से लगातार कमप्यूटर, संचार यंत्र के उपयोग द्वारा भेजता है,

(ग) कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मेल या संदेश जिसका मकसद कष्ट पहुँचाना हो या प्राप्तकर्ता या प्रेषक को इस संदेश की उत्पत्ती के बारे में धोखा देना हो,

उसे ३ वर्षों के कारागार और जुर्माना का दण्ड दिया जा सकता है।"

इस प्रावधान के अस्पष्ट रूप से लिखे जाने के कारण पुलिस को इंटरनेट पर पोस्ट किये गये किसी भी सामग्री को 'अपमानजनक', डरावना, खतरा या असुविधा पहुँचाने वाला आदि का कह कर हटवाने की शक्ति मिल गई क्योंकि इस कानून में इन शब्दों को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया था। इसलिए, इंटरनेट पर पोस्ट किये गये लेखों, चित्रों, कार्टूनों, संवादों, वाद–विवादों को लिखने, इसमें सम्मिलित होने और यहां तक कि केवल पसंद करने के कारण भी लोगों को पुलिस गिरफ़्तार करने लगी। इसके वास्तविक उद्देश्य से भिन्न इसका उपयोग सीधे–सीधे आम लोगों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर प्रहार करने के लिए किया जाने लगा।

कई केसों में उनलोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया जिन्होंने राजनैतिक पार्टियों या नेताओं के विरुद्ध कुछ कहा या लिखा। कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को भी ऐसे ही सरकार विरोधी कार्टून बनाने के लिए पहले धारा ६६क के अंतर्गत गिरफ़्तार किया गया फिर राज्यद्रोह जैसा आरोप भी लगा दिया गया। इस कानून के सरकारी दुरुपयोग के कई केस उपलब्ध हैं।

इसलिए, संविधान के अनुच्छेद ३२ के अंतर्गत रिट याचिका दायर करके *श्रिया सिंघल बनाम भारत गणराज्य (आपराधिक) सं. २०१२ के १६७ तथा ९ अन्य* रिट याचिकाओं के अंतर्गत सूचना तकनीक अधिनियम २००० की धारा ६६क को असंवैधानिकता के आधार पर खारिज करने की मांग की गई।

न्यायाधीश आर.एफ. नरिमण निर्णय देते हुए लिखते हैं – 'रिट याचिकाओं का यह समूह भारत के संविधान के अंतर्गत अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता से संबंधित खुले संवाद और अभिव्यक्ति के अधिकार (right of free speech and expression) पर प्रश्न उठाता है। तत्काल चिंता का कारण सूचना तकनीक अधिनियम २००० की धारा ६६क है।'

याचिकाकर्ता ने उक्त धारा ६६क को इस आधार पर भी चुनौती दी थी कि अनुच्छेद १९(२) के अंतर्गत अगिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, देश की अखंडता और संप्रभुता की सुरक्षा के लिए आठ कारणों से न्यायसंगत रोक लगाया जा सकता है। यह कारण हैं – राज्य की सुरक्षा, विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध, जन व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता या अदालत की अवमानना से संबंधित, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाना, इनमें से किसी एक के साथ भी उक्त धारा ६६क का सीधा संबंध नहीं है। हालांकि, सरकार ने यह दावा किया कि लोक व्यवस्था, मानहानि, अपराध के लिए उकसाने तथा शिष्टता और नैतिकता के आधार पर इस धारा की आवश्यकता है।

१२३ पृष्ठों के अपने निर्णय में माननीय न्यायाधीश चेलामेसवर तथा न्यायाधीश नरिमण की खण्डपीठ ने इस धारा के अंतर्गत उन ८ विषयवस्तुओं जो किसी के लिए – अपमानजनक, हानिकारक, सताने, कष्ट, असुविधा, ख़तरा या अवरोध, बेइज्ज़ती का कारण बनें यदि इसे किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट या अन्य संचार यंत्रों के उपयोग से भेजे गये संवाद, लेख आदि का परिणाम हो सकते हैं, की अलग – अलग व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया है कि इन शब्दों की कानून में व्याख्या न होने के कारण इनमें से कोई भी विषय संवाद का सीधा परिणाम है या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता है।

अदालत ने अपने निर्णय में यू.एस. के उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि यू.एस. के उच्चतम न्यायालय ने निर्णयों की श्रृंखला में माना है कि 'जहां एक धारा में दोष को परिभाषित करने के लिए जिससे अपराध बनता हो, कोई न्यायसंगत मानदण्ड न हो, और जहां कानून के पाबंद नागरिकों या प्राधिकारियों और अदालतों के लिए कोई स्पष्ट दिशा–निर्देश न हो, एक धारा जो अपराध की रचना करती है और जो अस्थिर है, उसे मनमाना और अतर्कसंगत होने के कारण निष्क्रिय कर देना चाहिए।'

अदालत ने इस रिट याचिका में उठाए गये विभिन्न विषयों में से आई.टी.ऐक्ट २००० की धारा ६६क को अस्थिरता और गलत ढंग से लिखे जाने के कारण तथा केरल पुलिस अधिनियम की धारा ११८ को भी उसी आधार पर खारिज कर दिया। संक्षेप में इसके निर्णय में कहा गया :–

(क) सूचना तकनीक अधिनियम २००० की धारा ६६क को, अनुच्छेद १९(१) (क) के प्रति अतिक्रमणात्मक होने के कारण और अनुच्छेद १९(२) के अंतर्गत सुरक्षित न रहने के कारण पूर्णतः खारिज किया जाता है।

(ख) धारा ६९ और सूचना तकनीक नियम, २००९ संवैधानिक रूप से वैद्य हैं।

(ग) धारा ७९ वैद्य है यदि धारा ७९(३)(ख) को इस प्रकार पढ़ा जाए कि (अर्थात बिचौलिये को जवाबदेही से छूट का लाभ नहीं मिलेगा) यदि एक बिचौलिये को अदालत के आदेश से या उपर्युक्त सरकार या इसकी एजेंसी द्वारा अधिसूचित किये जाने पर वास्तविक ज्ञान हो जाने पर कि अनुच्छेद १९(२) से संबंधित गैरकानूनी काम किया जाने वाला है और फिर सामग्री को शीघ्र हटाने या उस तक पहुँच को अक्षम करने में विफल हो। इसी प्रकार सूचना तकनीक "बिचौलिया दिशा–निर्देश" नियमावलि, २०११ भी वैद्य है।

(घ) केरल पुलिस अधिनियम की धारा ११८(घ) को भी अनुच्छेद १९(१) (क) के प्रति अतिक्रमणात्मक होने के कारण और अनुच्छेद १९(२) के अंतर्गत सुरक्षित न रहने के कारण खारिज किया जाता है।

इस प्रकार सभी रिट याचिकाओं को निपटाया जाता है।'

By john_a_ward Foter CC

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित हुई !

कानून से बेख़बर पुलिस

जहां उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद आई.टी. ऐक्ट की धारा ६६क नामक किसी कानून का अस्तित्व ही नहीं है वहीं, अदालती निर्णयों से अनभिज्ञ और थाना स्तर पर पुलिस इसका उपयोग २ सप्ताह के बाद भी करती रही।

थाणे पुलिस ने धारा ६६क के अंतर्गत एक व्यक्ति पर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध कथित फेसबुक पेज चलाने के लिए केस दर्ज किया। हालांकि, उस व्यक्ति को गिरफ़्तार नहीं किया गया। जबकि, पुलिस को अपनी ग़लती का आभास होने के बाद भी वह एफ.आई.आर. नहीं बदल सकती है, यदि वह चाहे तो उक्त धारा को आरोपपत्र दायर करते समय हटा सकती है।

वर्तमान स्थिति और निष्कर्ष

गृह मंत्रालय का कहना है कि धारा ६६क के रद्द होने के कारण जांच एजेंसियां सोशल मीडिया पर राष्ट्र के हित में खतरनाक पोस्ट को हटाने में असमर्थ हैं। इसलिए इसने एक समिति बनाई है जिसमें स्वंय मंत्रालय के सदस्य, आई.बी., एन.आई.ए. सी.बी.आई. और दिल्ली पुलिस के लोग हैं और जो यह देखेंगे कि क्या धारा ६६क को संविधान के दायरे में और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में वापस लाया जाना चाहिए या भारतीय दण्ड संहिता को ही देश की सुरक्षा और अपराधों के लिए उकसाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह समिति एक महीने में अपनी रिपोर्ट देगी जिसे आई.टी. मंत्रालय को मंत्रणा के लिए भेजा जाएगा।

संभव है उक्त प्रावधान दोबारा एक नये अवतार में वापस आ जाए या फिर आई.पी.सी. में ही संशोधन करके सूचना तकनीकों के माध्यम से राष्ट्र सुरक्षा पर प्रहार को रोकने का कोई उपाय निकाला जाए जोकि आवश्यक भी है। आज की स्थिति यह है और यह सभी थाना स्तर के पुलिसकर्मियों को स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए कि धारा ६६क आई.टी. ऐक्ट के अंतर्गत वह कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उन्हें अन्य आपराधिक कानूनों को टटोलना होगा।

– ज़ीनत मलिक

तथ्य एवं आंकड़े

पुलिस के विरुद्ध शिकायतें

राज्य	शिकायतों की संख्या			
	२०११-१२	२०१२-१३	२०१३-१४	२०१४-१५
यू.पी.	२१,२२३	२१,१६४	१६,८६०	१८,३७७
हरयाणा	१,७७९	२,४०७	२,८६१	२,४६५
दिल्ली	२,८२२	२,६८६	२,४१८	१,८१४
बिहार	१,१६१	१,२६१	१,२३२	६८०
राजस्थान	१,०६७	१,०७८	८०७	७८४
भारत	३४,४६७	३५,४६२	३२,६८२	२९,४७६

स्रोतन्य से: http://timesofindia.indiatimes.com/india/With-20000-complaints-a-yr-UP-tops-human-rights-violations/articleshow/46952728.cms

पृष्ठ १ का शेष भाग.....

कारण हो।

जहां तक चित्तूर और वारंगल का प्रश्न है मैं इस पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हूँ क्योंकि मैं तथ्यों से अवगत नहीं हूँ। मीडिया क्या दिखा रही है केवल उस पर विश्वास करके मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा।

क्या कारण है कि ऐसे एनकाउंटर लगातार हो रहे हैं?

अब हमें यह समझने की आवश्यकता है जो आपने कहा था कि क्या कारण है कि ऐसा लगातार हो रहा है। कई बार अच्छे लोग हैं जो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। बड़े–बड़े अपराधियों को गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया जाता है। क्या वहां से उनका काम खत्म हो जाता है? नहीं, जेल से वे अपना पूरा साम्राज्य चलाते हैं। जब उन्हें अदालत में पेशी के लिए लाया जाता है तो वहां पुलिस अनुपस्थित होती है उस समय वह अपने वकीलों से बात करता है और गवाहों को धमकाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस दिन हमारी न्यायिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो जाएगी उस समय शायद ऐसे एनकाउंटर में भी कमी आएगी। जो बड़े–बड़े अपराधी पकड़े जाते हैं उन्हें आप एक साल के भीतर जो भी दण्ड देना है, निर्णय करके उच्च स्तरीय सुरक्षा कारागारों में भेजें, जहां उसके पास साम्राज्य चलाने का कोई साधन कोई संचार उपकरण न हो। जब तक आप समाज के नासूर को समाज से काट कर अलग नहीं करेंगे तब तक वह समाज में गंदगी फैलाते रहेंगे। कई बार कर्मठ अधिकारी समाज हित में कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। इसके अलावा इन अपराधियों के विरुद्ध कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता। अलग से आकर वे पुलिस को बताकर चले जाते हैं कि साहब इसी ने यह अपराध किया है लेकिन अदालत में वह ऐसा कह नहीं सकता, ऐसे मैं वह अपराधी साक्ष्य के अभाव में छूट जाएगा और दोबारा और अधिक अपराध करेगा। और आगे देखिए, आपको विवेचना समय पर समाप्त करनी है लेकिन हमारे पास वैज्ञानिक और फौरेंसिक सहायकों की इतनी कमी है कि आपको एक ब्लड सैंपल का मिलान करना है तो महीनों लग जाते हैं रिपोर्ट नहीं आती। जबकि, विदेशों में हर शहर में एक फौरेंसिक लैब है। हमारे यहां पूरे राज्य में एक या दो हैं, तो इन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। हमलोग अपनी पुलिस को सुविधाएं दे रहे हैं तीसरी दुनिया के और अपेक्षा करते हैं विकसित देशों की। इन सब कठिनाईयों के कारण पुलिस को कई बार ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत से उसने जिस अपराधी को पकड़ा है वह प्रक्रियात्मक कमियों के कारण छूट जाएगा और उस समय उस कुण्ठा के कारण कुछ लोग ऐसे काम कर देते हैं जो कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। जबकि, मैं तो यही कहूंगा कि उन्हें अपने कर्तव्य के अलावा और कोई अवैधानिक कार्य समाज हित में भी नहीं करना चाहिए। इससे यह होगा कि समाज स्वंय अपराधों के कारण उक्त कमियों को दूर करने के लिए सरकार पर दबाव बनाएगा और शायद तभी इन कमियों को दूर किया जाएगा। अब, निर्भया के केस में समाज के दबाव के कारण ही पूरी न्यायिक प्रक्रिया ने सही दिशा में हरकत की और दोषियों को दण्ड मिला। अब यही अगर १० वर्ष के बाद निर्णय आता तो अपराधियों पर क्या कोई प्रभाव पड़ता?

सर, अंत में मैं फिर आपसे चित्तूर और वारंगल की घटनाओं के बारे में पूछना चाहूंगी कि अब तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी यह मान लिया है कि चित्तूर एनकाउंटर एक झूठा एनकाउंटर था। क्या आपको नहीं लगता कि इसके लिए ज़िम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही होनी चाहिए?

बहुत अच्छी चीज़ है कि एन.एच.आर.सी., सी.बी.आई. इंक्वायरी और दूसरे जो दबाव समूह हैं उनके कारण झूठे मुठभेड़ों की संख्या में कमी हुई है और थाना स्तर के कर्मचारियों से मैं यह कहना चाहूंगा कि उन्हें कभी इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा यह दबाव तो ठीक है कि ग़लत एनकाउंटर न हों लेकिन एन.एच.आर.सी. या अन्य दबाव समूह वहां क्यों विफ़ल हो जाते हैं जिससे कि न्यायपालिका की व्यवस्था में सुधार आए और जो लोग ऐसा मानते हैं कि वह समाज हित में काम करके बुरे लोगों को समाप्त कर रहे हैं, उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता भी न हो।

जहां तक इन दो केसों का प्रश्न है अगर इंक्वायरी में यह ज्ञात होता है कि यह झूठा एनकाउंटर था तो उन्हें अवश्य ही दण्ड मिलना चाहिए।

क्या आप जानते हैं?

इस श्रृंखला के अंतर्गत हम हमेशा पाठकों के लिए निर्धारित नियमों, कानूनों, दिशा–निर्देशों, सर्वोत्तम प्रचलनों को समावेश ज्यों का त्यों करते हैं। इसी पद्धति को आगे बढ़ाते हुए, इस खंड में हम पुलिस मुठभेड़ों में हुई मृत्यु के बाद आवश्यक विधिक प्रक्रियाओं का समावेश कर रहे हैं। हालांकि, इन नियमों, दिशा–निर्देशों को अलग– अलग हम ***लोक पुलिस*** के पिछले अंकों में पहले भी प्रस्तुत कर चुके हैं लेकिन यहां इन्हें एक साथ और दो बेहद गंभीर पुलिस मुठभेड़ के मामलों के परिप्रक्ष्य में प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुलिस मुठभेड़ों के कारण मृत्यु होने पर नियमों और वैधानिक प्रक्रियाओं का विवरण

०७ अप्रैल २०१५ को देश में पुलिस द्वारा गैर न्यायिक हत्या के दो केस प्रकट हुए।

क) पहला तेलंगाना के वारंगल ज़िले में जहां ५ विचाराधीन बंदियों को पुलिस ने इस बहाने से मार डाला कि उनमें से एक ने मार्गरक्षक पुलिस की बंदूक छीनने की कोशिश की थी ताकि वे भाग सकें,

ख) और दूसरी घटना जिसमें चित्तूर ज़िले के शेषाचलम जंगल में २० व्यक्तियों को आन्ध्रा पुलिस और वन विभाग के संयुक्त ऑपरेशन में कथित रूप से चंदन की लकड़ियों के तस्करी करने के आधार पर मार डाला गया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार (एन.एच.आर.सी.) और आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय दोनों ने ही चित्तूर केस में सरकार से रिपोर्ट मांगी है। ज़िला प्रशासन ने वारंगल की घटना के लिए मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी का आदेश दे दिया है जबकि एन.एच.आर.सी. ने तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी करके रिपोर्ट मांगा है। न्यायसंगत तो केवल यह होगा कि इन घटनाओं की एक निष्पक्ष जांच की जाए और सच्चाई सबके सामने आए तथा दोषियों को दण्ड मिले। हालांकि, जिस प्रकार निचली अदालत ने हाल ही में १९८७ के हाशिमपुरा नरसंहार के केस में १६ आरोपी पुलिसकर्मियों को दोषमुक्त कर दिया है, यह आवश्यक है कि पुलिस द्वारा नागरिकों पर कितने बल का प्रयोग किया जाना है इससे संबंधित कानूनों और ऐसी घटना के बाद वैज्ञानिक और निष्पक्ष जांच को सुनिश्चित करने के लिए क्या नियम और मानदण्ड हैं उनको दोहराया जाए। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार आन्ध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जे.वी. रामुदू से जब एक पत्रकार ने पूछा कि क्या चित्तूर घटना में इतने मृत्यु से बचने के लिए पैरों पर गोली नहीं चलाई जानी चाहिए थी? कथित रूप से उन्होंने उत्तर दिया था कि क्या ऐसा कोई कानून है कि पैरों पर गोली चलाना चाहिए?

पुलिस द्वारा बल प्रयोग के विनियमन के नियम और मानदण्ड

आन्ध्र प्रदेश पुलिस नियमावलि में तस्करों पर बल प्रयोग के लिए निम्नलिखित नियम हैं और उन्हें 'संगठित अपराध' के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है:

"झ. संगठित अपराध :

५४३-१-ख. संगठित अपराध सम्पत्ती, व्यक्ति या मानव कल्याण के विरुद्ध एक नेता के द्वारा योजना बनाई जाती है जिसके प्रति सभी सदस्य वफादार रहते हैं। संगठित अपराध व्यापक स्तर पर कानून व्यवस्था और लोक व्यवस्था को प्रभावित करता है.

घ. बूट लेगिंग, वैश्यावृत्ति, जुआ, संविदा पत्र और नीलामी में निविदा और टेन्डर में छल–कपट, ज़मीन हड़पना, सम्पत्ती पर गैरकानूनी तरीके से कब्ज़ा या बेदखल करना, सुरक्षा वसूली, चुनाव रिगिंग, कर्ज में घोखेबाज़ी करना, ज़बरदस्ती वसूली, फिरौती के लिए अपहरण, हथियारों का अवैध व्यापार, विस्फोटक, तस्करी, प्रावीन कालीन वस्तुओं और सांस्कृतिक सम्पत्ती की चोरी, जानवरों के चमड़े और मानव अंगों का व्यापार आपराधिक समूहों के कुछ कार्यकलाप हैं, जो कभी छोटे संस्थान के रूप में होते हैं और कुछ बड़े.

५४६-३-क-घ. ऐसे केसों में गिरफ़्तारी के विरोध की सम्भावना होती है। गिरफ़्तारी करते समय कानून में जायज़ बल से अधिक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। गिरफ़्तारी से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।"

६५४-१-क. पुलिस से कानून के दायरे में रहकर काम करने की अपेक्षा की जाती है न कि पर्याप्त कानून न होने का बहाना करके कानून को अपने हाथ में लेने की अपेक्षा की जाती है। वे कानून बनाने वाले या न्यायपालिका की भूमिका नहीं निभा सकते। कानून की उपर्युक्तता और अक्षमता को देखने का काम दूसरी शाखा का है। पुलिस से केवल कानून लागू कराने वाले की भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है।

पुलिस द्वारा मानव अधिकार के उल्लंघन के कारण

६५०-१. पुलिस द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के कुछ कारण निम्नलिखित हो सकते हैं:

क. पूछताछ की तकनीक की कमी.

ख. वैज्ञानिक टेम्पर और व्यवसायिकता की कमी

ग. जांच के लिए आपराधिक कानून तथा प्रक्रिया के ज्ञान की कमी. घ. परिणाम के लिए जनता की अवास्तविक अपेक्षा.

ङ. शीघ्र परिणाम के लिए राजनैतिक और आधिकारिक दबाव. च. गलत धारणा की कानूनी तरीके से परिणाम को हासिल करने के लिए कानून उपर्युक्त नहीं है,

छ. कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा परपीड़क आनंद।

मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप से बचने के लिए पुलिस के लिए आचार संहिता

६५४-१-ख. पुलिस कानून को स्थापित करने और लागू करने में जहां तक व्यवहारिक हो, समझाना बुझाना, सलाह और चेतावनी का तरीका उपयोग करना चाहिए। जब बल का प्रयोग अपरिहार्य हो जाए, यह प्रक्रिया के अनुसार और कम से कम होना चाहिए।

निजी सुरक्षा का अधिकार

७४०-३. अवैधानिक सभा के बिखराव के लिए सार्वजनिक जीवन और सम्पत्ति या स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए निजी सुरक्षा बचाव के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। इस अधिकार का उपयोग उतने बल से और उस समय तक के लिए किया जा सकता है जितने बल और जिस समय तक इसकी आवश्यकता है। इस अधिकार के अंतर्गत कुछ केसों में, किसी की जान भी ली जा सकती है, भ.द.सं.की धारा १०० के अंतर्गत जीवन रक्षा के लिए और धारा १०३ के अंतर्गत सम्पत्ति की रक्षा के लिए। पुलिस को इस अधिकार के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। अधिकार से थोड़ा भी आगे बढ़ना उन्हें कानून के अनुसार दण्ड का पात्र बना सकती है। इसलिए, पुलिस अधिकारियों को इस अधिकार का न्यायसंगत उपयोग करना चाहिए, जैसा कि धारा १०० और १०३ में बतलाया गया है जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक होने पर ही इसका उपयोग करना चाहिए।

एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि तीन बार, स्वंय आन्ध्र प्रदेश पुलिस की ऑपरेशन नियमावलि में ही घातक बल के उपयोग पर उचित रोक लगाने की आवश्यकता बतलाई गई है। राज्य डी.जी.पी. का कथन पुलिस के लिए निर्धारित मानदण्डों का पूर्ण उल्लंघन करता है।

गैर न्यायिक मृत्यु के बाद क्या किया जाना चाहिए?

सितंबर २०१४ में उच्चतम न्यायालय ने *पी. यू.सी.एल. बनाम महाराष्ट्र राज्य* के निर्णय में गैर न्यायिक मृत्यु के मामले के बाद की जाने वाली कार्यवाही के बारे में स्पष्ट दिशा–निर्देश दिया है।

क) पारा ३१(२)% "किसी सुराग के मिलने पर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, मुठभेड़ होते हैं और पुलिस पार्टी द्वारा बन्दूक का उपयोग किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप, मृत्यु होती है, इसके लिए एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी और उसे बिना किसी विलंब के संहिता की धारा १५७ के अंतर्गत अदालत को भेजा जाएगा, १५८ के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।"

पी.यू.सी.एल. के निर्णय में कई अन्य निर्देश हैं। पाठक इन्हें स्वंय पढ़ सकते हैं। हमने ***लोक पुलिस*** के अंक में इसी खंड के अंतर्गत इसे प्रकाशित भी किया था। (http://www.humanrightsinitiative.org/publications/lokpolice/lokpolice_october2014.pdf) यह सभी दिशा–निर्देश अनुच्छेद १४२ और १४४ के अंतर्गत अब कानून बन चुके हैं और इन्हें निष्ठापूर्वक माना जाना चाहिए।

गैर न्यायिक मृत्यु की घटना के बाद मृतकों के शव का पोस्ट मार्टम किस तरह किया जाना चाहिए इसके बारे में एन.एच.आर.सी. के दिशा–निर्देशों में कहा गया है कि :–

earth2marsh Source CC BY-NC-SA

वारंगल एवं चित्तूर : एनकाउंटर या सुनियोजित हत्या

१. पुलिस या किसी को भी मृतक के कपड़ों को नहीं उतारना चाहिए। जबकि, रिपोर्टों के अनुसार आन्ध्र प्रदेश की घटना में मृतकों के कपड़े उतारकर एक ओर ढ़ेर बनाकर रखे गए थे। इस प्रकार मृतकों के साथ भी कानून और नियमों की अनदेखी जारी रखी गई।

२. पोस्टमार्टम परीक्षण की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी की जानी चाहिए जिसमें परीक्षण करने वाले डॉक्टर की भी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने पी.यू.सी.एल. केस में कहा था कि पोस्ट मार्टम ज़िला अस्पताल के दो डॉक्टरों द्वारा किया जाना चाहिए जिनमें से एक जहां तक संभव हो इसका प्रमुख होना चाहिए।

३. एन.एच.आर.सी. द्वारा बतलाए गये कोणों से शवों के २०-२५ फोटो लिये जाने चाहिए।

फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, फौरेंसिक फोटोग्राफ़ी में प्रशिक्षित फोटोग्राफर द्वारा लिया जाना चाहिए।

४. ऐसी घटना के ४८ घंटों के भीतर पुलिस को एन.एच.आर.सी. को विस्तृत रिपोर्ट भेजनी चाहिए और बाद में पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी, प्राक्षेपिक (बैलिस्टिक) परीक्षण की रिपोर्ट और सबसे महत्वपूर्ण वह रिपोर्ट जिसमें उन अधिकारियों के नाम और पद होंगे जो इन मौतों के लिए ज़िम्मेदार होंगे और जिसमें यह भी होगा कि क्या बल का प्रयोग न्यायसंगत था और की गई कार्यवाही कानूनी थी।

यह सभी निर्देश और दिशा–निर्देश निर्धारित कर दिये गये हैं और अनिवार्य रूप से इनका पालन किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक घटना को ठीक प्रकार से लिखा जाए, जांच किया जाए और आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए ज़िम्मेदार व्यक्तियों का दोष स्थापित हो सके।

इसलिए, सबसे पहली आवश्यकता है घटना का एफ. आई. आर. दर्ज होना। एफ. आई आर. में कम से कम मुठभेड़ से संबंधित यह तथ्य होना चाहिए कि मुठभेड़ हुआ, कहां हुआ और इसके परिणाम स्वरूप हुई मौतों की विस्तृत जानकारी। यह पहले के अविभाजित आन्ध्र प्रदेश में हुआ पुलिस के लिए आम प्रचलन है कि मृतकों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करना बगैर इस बात की व्यख्या किये हुए कि इस मृत्यु का ज़िम्मेदार कौन है। हालांकि, पी.यू.सी.एल. केस में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक के हत्या/वध की सच्चाई को दर्ज किया जाना चाहिए। उन पुलिस अधिकारियों/व्यक्तियों का नाम भी एफ.आई.आर. में दर्ज होना चाहिए जिनके कारण मृत्यु हुई है।

ख) "३१(३): सी.आई.डी. या दूसरे थाने की पुलिस टीम द्वारा एक वरिष्ठ अधिकारी के पर्यवेक्षण में (जो उस टीम से कम से कम एक स्तर वरिस्ठ हो जो मुठभेड़ में सम्मिलित थे) घटना/मुठभेड़ की स्वतंत्र जांच की जाएगी।"

इसलिए अगली आवश्यकता यह है कि :

१) सी.आई.डी. या दूसरे थाने की पुलिस टीम द्वारा जांच कराई जाए।

२) मुठभेड़ का नेतृत्व करने वाले पुलिस अधिकारी से बड़े स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा।

ग) "३१(३)(छ): हथियारों के कोई भी सबूत जैसे कि बन्दूक, गोला, गोलियां और खाली कारतूस को लेकर संभालकर रखना चाहिए, जहां कहीं भी उपयुक्त हो गोलीबारी के अवशेष की जांच और मेटल डिटेक्शन की जानी चाहिए।"

"३१(३): पुलिस अधिकारी/अधिकारियों को बैलिस्टिक परीक्षण के लिए अपने हथियारों और संविधान के अनुच्छेद २० के अंतर्गत अपने अधिकारों का ध्यान रखते हुए जांच एजेंसी द्वारा आवश्यक अन्य सामग्रियों को भी जमा करा देना चाहिए।"

घ) "३१(४): मृत्यु के सभी केसों में जो पुलिस फायरिंग के कारण होती है, निरपवाद रूप से संहिता की धारा १७६ के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की जांच होनी चाहिए और धारा १६० के अंतर्गत अधिकारक्षेत्र वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनिवार्य रूप से एक रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए।"

इसलिए, तेलंगाना केस में विचाराधीन बंदियों की हत्या में इंक्वायरी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा होनी चाहिए क्योंकि पुलिस हिरासत के दौरान मृत्यु हुई थी। लेकिन, आन्ध्रा के केस में इंक्वायरी कार्यकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों में से किसी के द्वारा भी की जा सकती है।

च) "३१(१५): घटना के तुरंत बाद संबंधित पुलिस अधिकारी को समय के पहले पदोन्नति या वीरता पुरस्कार नहीं दिया/सिफ़ारिश किया जाना चाहिए। यह हर हालत में सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पुरस्कार तभी दिया/सिफ़ारिश किया जाए जब ऐसे अधिकारी की वीरता शक के परे स्थापित हो जाए।

छ) "३१(१६): यदि पीड़ित के परिवार को यह मालूम होता है कि उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है या जांच में स्वतंत्रता की कमी है या किसी भी प्राधिकारी की ओर से निष्पक्षता नहीं बरती गई है, वह घटनास्थल के अधिकारक्षेत्र वाले सत्र न्यायाधीश से शिकायत कर सकते हैं। ऐसी शिकायत मिलने पर, सत्र न्यायाधीश शिकायत की सच्चाई की जांच करके विपत्ति को सम्बोधित करेंगे।

– वेंकटेश नायक

आपके विचार

महोदया,

नमस्कार!

लोक पुलिस पत्रिका का फरवरी अंक प्राप्त हुआ। इसमें हम थाना स्तर पर काम करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए आठ घंटे ड्यूटी के लिए शोध रिपोर्ट पर लेख पढ़कर बहुत आनंद मिला। इसे लागू किया जाएगा या नहीं यह तो समय ही बताएगा लेकिन हमारे लिए हर्ष की बात यह भी है कि हमारे बारे में कहीं कोई कुछ विचार विमर्श तो हो रहा है।

हम आशा करते हैं कि इस शोध की सिफ़ारिशों को शीघ्र लागू किया जाए।

धन्यवाद!

कांस्टेबल, पटना पुलिस

बिहार

पुलिस समाचार - हर कोने की हलचल

उग्र भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस की मिर्ची

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उग्र भीड़ को हटाने के लिए एक अनोखा और तीखा रास्ता अपनाया गया है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अप्रैल के दूसरे सप्ताह में तीन मनुष्य रहित छोटे हेलिकॉप्टरों को लॉन्च किया गया। इन तीनों ड्रोनों में उनके नियमित कार्य आकाश पर से नज़र रखने के अलावा एक चैम्बर में मिर्ची पाऊडर डालने के लिए भी जगह रखी गई है जहां से अपने आप ही मिर्ची निकल कर गिर सकती है। जिससे भीड़ का हिस्सा बने लोगों के पास भागने के अलावा शायद ही कोई और विकल्प होगा।

हालांकि, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसी के साथ पब्लिक सी.सी.टी.वी. प्रोजेक्ट 'नज़र एक उम्मीद' और 'दृष्टि' नगर निगरानी को भी लॉन्च किया। ये तीनों ड्रोन ३ से १२ लाख की लागत से तैयार हुए हैं जिसमें एक ८ कैमरों वाला हेलिकॉप्टर भी है जो विभिन्न कोनों से फोटो और दृश्य ले सकता है।

सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाने के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न केवल कानून–व्यवस्था बनाए रखने में सहायता मिलेगी बल्कि ट्रैफिक और अपराध नियंत्रण करने में भी सहायत मिलेगी और साथ ही इससे आम जनता के व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा क्योंकि उन्हें भी मालूम होगा कि कैमरे की नज़र उन पर है।

यू.पी. पुलिस जहां सी.सी.टी.वी. कैमरे से सतर्कता बरतने के लिए साकारात्मक कदम उठा रही है वहीं ड्रोन द्वारा मिर्ची पाऊडर के स्प्रे से भीड़ को हटाने का तरीका उचित नहीं मालूम पड़ता क्योंकि, भीड़ में कई बार बच्चे और बुजुर्ग भी सम्मिलित होते हैं और वैसे भी भीड़ में साधारण जनता ही शामिल होती है वह कोई अपराधी नहीं कि उसे हटाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ें।

(सौजन्य : द हिन्दु डॉट कॉम, १३ अप्रैल २०१५)

चित्तूर मुठभेड़ में पुलिस का षडयंत्र

७ अप्रैल २०१५ को आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले में कथित झूठे मुठभेड़ के केस में जहां २० चंदन के लकड़हारों को मौत के घाट उतार दिया गया था, एन.एच.आर.सी. ने उन दो लोगों का बयान दर्ज किया जो इसके लिए ज़िम्मेदार वन विभाग और स्पेशल टास्क फोर्स के संयुक्त ऑपरेशन से बच कर भाग निकले थे और जो पुलिस के कथन को झूठा बतला रहे हैं। इन दोनों ने अपनी और अपने परिवारों और रिश्तेदारों की जान पर खतरा होने की बात कही है।

perpetualplum Source CC BY (1)

सबको मार डाला...मिशन सफल

इसलिए, आयोग ने निर्देश दिया है कि ये दो लोग, उनके परिवारजनों और रिश्तेदारों को डी.जी.पी., तमिलनाडु द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाए। इन दोनों लोगों ने आयोग के सामने यह भी कहा कि वे यह बयान उनके गांव के पंचायत प्रमुखों के सहयोग के कारण कर पा रहे हैं। इसलिए, पुलिस सुरक्षा उन पंचायत प्रमुखों को भी दी जानी चाहिए।

आयोग ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और घटना मृतकों की एक बड़ी संख्या से संबंधित होने के कारण, मुख्य सचिव और डी.जी.पी. आन्ध्र प्रदेश को भी निर्देश दिया है कि–

(१). द.प्र.सं. की धारा १७६(१)(क) के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी की जाए,

(२). वे सुनिश्चित करें कि उन सभी लोगों के नाम जो उस घटना में एस.टी.एफ. का भाग थे और वन विभाग के सभी अधिकारी जो डयूटी पर थे उनके नाम २२ अप्रैल २०१५ तक या उससे पहले एन.एच.आर.सी. को भेज दी जाए,

(३). अगर मृतकों का पोस्ट मार्टम किया जा रहा हो तो इसे आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए,

(४). सुनिश्चित करें कि एस.टी.एफ. और मृतकों द्वारा उपयोग किये गये सभी हथियारों को सुरक्षित संरक्षण में रखा जाए, और

(५). घटना से संबंधित पुलिस रजिस्टर, लॉग बुक, जी.डी.एंट्रीज़ और किसी भी अन्य दस्तावेज़ों को नष्ट न किया जाए, छेड़खानी न की जाए। एन.एच.आर. सी. मामले के विचाराधीन रहते हुए निराई न की जाए। शिकायतकर्ता द्वारा यह बतलाया गया कि एक और गवाह भी है लेकिन वह अभी दिल्ली पहुंच नहीं पाया है। आयोग ने अपने एक अधिकारी को उसका बयान दर्ज करने के लिए नियुक्त करने का निर्णय लिया है जो हैदराबाद जाकर उसका बयान दर्ज करेगा।

मालूम होता है कि बच कर भाग आए २ गवाहों के कथन से बहुत गंभीर तथ्य उजागर होने वाले हैं जैसे कि पुलिस ने उक्त लकड़हारों को कैसे अगवा किया फिर उन्हें कहीं कैद करके रखा और फिर जंगल में ले जाकर मार डाला। जैसा कि बताया जा रहा है एक गवाह के अनुसार स्वंय उसके रिश्तेदार को पुलिस घर से बुलाकर ले गई थी और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस द्वारा कथित अपराधों की पूरी सूची मिलना अभी शेष है।

कुछ ऐसे ही तथ्य टाटा इंस्टयूट ऑफ सोशल साईंसेस (टिस) की फैक्ट फाईंडिंग टीम द्वारा प्राप्त किये गये हैं जो अपनी रिपोर्ट एन.एच.आर. सी. को भेजने वाली है। इसमें भी शवों पर आगे की ओर से कई गोलियों के निशान होने की बात बताई जा रही है। साथ ही, सबूतों को संभाल कर रखने की कोई विशेष कोशिश भी नहीं दिखाई दे रही है।

गवाहों के बयान और टिस के निरीक्षणकर्ताओं के वक्तव्य से जो सच्चाई उजागर हो रही है, वह पुलिस द्वारा अपराध को समाप्त करने के बजाय सीधे कथित अपराधियों को ही समाप्त करने को एक बहुत भयानक विचाराधारा को दर्शाती है। यह विचारधारा पूरी आपराधिक न्याय प्रक्रिया को नज़रअंदाज़ करके अपराधियों की तरह षडयंत्र रचे जाने की बात बताती है। इस केस में अगर दोषियों को दण्ड नहीं मिला तो दूसरे स्थानों पर भी ऐसे मुठभेड़ों की संख्या बढ़ने लगेगी, जो आम जनता के लिए और पूरे सभ्य समाज के लिए ख़तरनाक होगा।

(सौजन्य : प्रेस रिलीज़ एन.एच.आर.सी., १३ अप्रैल २०१५ और डी.एन.ए. इंडिया डॉट कॉम, १८ अप्रैल २०१५)

मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधित केसों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे

वर्तमान में बेशक आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना पुलिस पर झूठे मुठभेड़ के मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा हो, लेकिन मानव अधिकारों के उल्लंघन के केसों में उत्तर प्रदेश (यू.पी.) पुलिस का मुकाबला कोई भी राज्य नहीं कर सकता है। क्योंकि, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) के पास सबसे अधिक शिकायतें यहीं से दर्ज कराई जाती हैं। जहां आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना में हर वर्ष पुलिस के विरुद्ध करीब २०० केस दर्ज कराए जाते हैं वहीं यू.पी. में यह संख्या २०,००० से भी अधिक है।

इसके बाद हरियाणा और दिल्ली पुलिस का नंबर आता है जिनके विरुद्ध एक वर्ष में २,००० - २,८०० शिकायतें आती हैं।

हैरानी की बात है कि जम्मू व कश्मीर और उत्तरी पूर्व जहां सैन्य बलों की ज़्यादती की बात प्रायः उठती रहती है, उनकी स्थिति कहीं बेहतर है और इनके विरुद्ध शिकायतें एक नंबर पर ही सीमित रहती हैं।

हालांकि, अधिकांश राज्यों में पुलिस के विरुद्ध मानव अधिकारों के उल्लंघन के केसों की शिकायत राज्य मानव अधिकार आयोग में ही की जाती है। दिल्ली से दूर के राज्यों में यह आँकड़ा कम होने की सम्भावना है क्योंकि दिल्ली तक यात्रा करने से लोग बचना चाहते हैं। इसी प्रकार यू.पी. दिल्ली और हरियाणा से शिकायतें सबसे अधिक होना स्वभाविक है। यू.पी. से आने वाली शिकायतों की इतनी बड़ी संख्या जो आयोग के कुल शिकायतों का ६० प्रतिशत है, इसे भी भौगोलिक कारण ही बताया जा रहा है। लेकिन, अगर यह वास्तविकता है तो दिल्ली से बिल्कुल लगे हुए हरियाणा के आँकड़े यू.पी. से १० गुना तक कम कैसे हैं? जबकि उत्तर प्रदेश कैडर के एक आई.पी.एस. अधिकारी द्वारा यह भी कहा गया कि 'इसकी तुलना करते समय राज्य की जनसंख्या और आकार को भी ध्यान में रखना होगा।' अगर इस पर भी ध्यान दिया जाए तो भी हरियाणा से १० गुणा अधिक आबादी तो नहीं है यू.पी. की और वास्तविकता यह है कि पुलिस द्वारा मानव अधिकारों के हनन के केस आमतौर पर यू.पी. में घटित होते रहते हैं। इसी कारण इन केसों की संख्या इतनी अधिक है।

तेलंगाना हो, आन्ध्र प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन की एक भी घटना से पुलिस की कर्तव्यनिष्ठा पर तो प्रश्न चिन्ह लगता ही है, साथ ही आम जनता स्वयं को ऐसी दयनीय स्थिति में पाती है कि उसे समझ नहीं आता है कि वह कहां जाए, क्या करे। क्योंकि, उसे अपने परिजनों और मित्रों के बाद सुरक्षा के लिए पुलिस का ही सहारा होता है। लेकिन, पुलिस अपने अस्तित्व की ज़िम्मेदारी को कब समझेगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।

(सौजन्य: टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, १७ अप्रैल २०१५)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान संपादक : ज़ीनत मलिक, ५५ ए, तीसरी मंज़िल, सिद्धार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली–११००१६, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००ए फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, वेबसाईट: http//www.humanrightsinitiative.org